



श्रमायुक्त कार्यालय  
मध्य प्रदेश शासन,  
इन्दौर

न्यूनतम वेतन  
एवं  
मंहगाई भत्ते की दरे  
दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

-----  
-----  
-----  
न्यूनतम वेतन की दरे श्रम विभाग की वेबसाइट

[www.labour.mponline.gov.in](http://www.labour.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है

**न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948**

के अंतर्गत अभिको हेतु

दिनांक 01.10.2023 से प्रभावशील

न्यूनतम वेतन एवं परियोजनशील

मंहगाई भत्ते की दरें

01 से 36, 39 से 55 एवं 57 से 66, 68, 70 से 72 तक कुल 67 नियोजन

67 नियोजन	पृष्ठ क्र. 03-15
प्रदेश के विभिन्न शासकीय एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी हेतु अनुसूची "क"	पृष्ठ क्रमांक 16
कृषि नियोजन	पृष्ठ क्र. 17-19
बीड़ी नियोजन	पृष्ठ क्र. 20-28
अगरबत्ती नियोजन	पृष्ठ क्र. 29-35
अन्य	पृष्ठ क्र. 36-38

**श्रम आयुक्तस कार्यालय, अध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/28003-252  
अधिसूचना

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभागशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित पावपान, सहपाठित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं श्रीकांत बनोठ, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश एवंदारा अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेवर द्वारा, शिमला से जात किया गया, माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए लिम्लानुसार प्रकाशित करता है:-

माह / वर्ष	अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	2315.81 ÷ 6 = 385.96 (386)

तथा इनका औसत 386 घोषित करता है, जो कि अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों के लिये औसत द्वितीय व्यय सूचकांक (कास्ट औफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41(झ)-1-2014-ए-सोलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित नियोजनों के श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील अंहगाह भल्ता देय है।

म.प्र.राजपत्र दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670-671 पर प्रकाशित श्रम विभागीय अधिसूचना, क्रमांक एफ.4(सी)1-2013/अ-16 के अनुसार राज्य के कलिपय नियोजनों के श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुलरीक्षित की गई हैं, जो अधिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014), 2001=100 को आधार मालकर संबंध की गई है। जो कि दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

(Shri K. Banot)  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर  
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संगणना एवं पुनरीक्षित दरों के संबंध में विवरणात्मक टीप :-**

मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 10.10.2014 के पृष्ठ क्र. 358 से 380, 384 से 394 एवं 395 से 400 पर प्रकल्पित श्रम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 के अनुसार राज्य के शमिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरें पुनरीक्षित की गई हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी-जून, 2014) 2001=100 को आधार बनाकर मंबद्ध की गई है।

श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 1/11/अन्वे./पांच/2015/23003-252 दिनांक 25-09-2023 के अनुसार जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 386 रहा है। गत छ: माहों का औसत 379 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 379 के ऊपर  $(386-379)= 07$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप 67 अनुसूचित लियोजनों में अद्वृशल, कुशल एवं उच्च कुशल शमिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 25/- प्रतिविन्दु प्रतिमाह के भान से रूपये  $(25 \times 07)= 175/-$  की वृद्धि हुई है। तदनुसार अद्वृशल, कुशल एवं उच्च कुशल शमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(386-241)= 145$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये  $(25 \times 145)= 3625/-$  प्रतिमाह या  $(3625 \div 26)$  रूपये 139.42 प्रतिदिन एवं अकुशल शमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $(386-253)= 133$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि  $(25 \times 133)= 3325/-$  प्रतिमाह या  $(3325 \div 26)$  रूपये 127.88 प्रतिदिन रूपये दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- अ, ब, स के लिए)।

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, ओपाल के पब क्रमांक 303/आर/577/92/लि-5/4, दिनांक 30 जून, 1992 तथा मध्यप्रदेश राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 2(घ) में निहित प्राप्यधान संहितित मध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं एतदद्वारा शासकीय दैनिक वेतन भोगी शमिकों एवं कमचारियों के लिये दैनिक वेतन की दरे सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए अनुसूची-“क” के अनुसार निर्धारित करता हूँ, जो दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

अनुसूची - अ

6.7 अनुसूचित नियोजनों में मासिक एवं दैनिक बेतन दरे तिसमें परिवर्तनशील संहाराइ भरता सामिकालित है (आँकड़े रूपयों में)

त्यक्तसम बेतन		परिवर्तनशील भरता		बुन्दल बेतन		त्यक्तसम बेतन		परिवर्तनशील भरता		फुल बेतन		रूपयों में गांड़-आँ कर दैनिक दर		
परिवाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
टिकाक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक														
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	404	404	404	325	127.88	9825	377.88	378
7057	271.42	3450	132.69	10507	404.12	404	404	404	404	3625	139.42	10682	410.85	411
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	457	457	457	3625	139.42	12060	463.85	464
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	507	507	507	3625	139.42	13360	513.85	514

स्पष्टीकरण –

(1) 41 अंकद्वारी लिपिभाषा में दरों तथा रूपयों को गुणाकारी वाले ५५०००-आप करके ही दैनिक एवं मासिक भरताद्वारा लिखित रूपी जावेगी। यित्त लिखान के परिपथ इ. एफ. १-७ / २००६/ विद्यम/चार. दिनांक 20 सितंबर, 2006 में ५००५से अधिक रूपयों में पृष्ठाक्रित किया जावेगा और ५००५से से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा। विशेष दैर्घ्य : उपर्युक्त अनुसूची-क में लिखान दैनिक बेतन की दों ३० दिन से लिखान दैनिक रूपयों की गई है, इसलिए सभी कर्तव्यान्वयों पर्यं भ्रमिकों को बेतन सहित साप्ताहिक अवधारणा देव होगा। अवधारणा के लिए योग्य बायोडी नहीं की जा सकती।

(2) ५७६२ल भ्रमिकों के लिए दैर्घ्य गई बेतन दरों पर लेख द्वारा लिखान दूरा लिखान भारतीय उपभोक्तव सम्बन्ध सम्बन्धकाल २५३ (२००१=१००) तुलाई, २०१४ से लिखान दैर्घ्य २०१४ के अधार प्रमाणकों के अनुसर आधिक है। २५३ सुचकाक के ऊपर पाति ६ भार में ओ औसत दैर्घ्य होगी। इसी अनुपल भैं पृष्ठाक्रित किया जावेगा।

(3) इस प्रज्ञर अधिसूचित त्यक्तसम बेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्तव्यान्वयों पर विकल्प बनाव नहीं डालता। यदि विषमान बेतन की दरों त्यक्तसम बेतन की पृष्ठाक्रित दरों से अंतिक है, तो वह विस्ती भी दरों में कम रहने की जाएगी, उस तरफ़ कि त्यक्तसम बेतन की रूपयों अधिसूचित नियोजनों की रूपयों परिवर्तन-व में देखें।

टी। – न्यूनतम बेतन अधिसूचित नियोजनों की रूपयों परिवर्तन-व में संबंध भी इस संबंध में स्पष्टीकरण परिवर्तन-व में देखें।

Yogeshwar Singh  
(शीक्षात्मक बलोठ)  
शास्त्राध्यक्ष,

अध्यक्ष प्रबोध, इंदौर

परिशेष - ३

न्यूनतम अजूदी अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अनुसूचित नियोजन लिखमें वेतन निर्धारित है

क्र.	अनुसूचित नियोजन	भवा - एक
1	किसी कापास जिनींग एवं प्रोसेसिंग कारखाने में नियोजन	
2	किसी यन तगड़ने तथा यन उपज में नियोजन	
3	किसी मार्गी के लिमाण या समाज या भैक्न निमाण कार्य में नियोजन	
4	किसी सोक मोटर परियहन में नियोजन	
5	किसी इंजीनियरिंग उद्योग में नियोजन	
6	किसी सिंधार्द कार्य के लिमाण तथा संधारण में नियोजन	
7	किसी कैपियल तथा फार्मस्ट्रुटिकल्स में नियोजन	
8	किसी आरा मिल में नियोजन	
9	किसी जेल मिल में नियोजन	
10	किसी चांचल मिल का आटा मिल या ढाल मिल में नियोजन	
11	किसी मुर्ग पोह लिमाणी में नियोजन	
12	किसी बाय पदार्थ में जिसमें फेक, बिहिकर्स, कॉफेशनरी, आईस्क्रीम, आइसकॉडी समिलित है, के लिमाण में नियोजन	
13	किसी पद्धर तोड़ने या पत्थर पिलाने के कार्य में नियोजन	
14	किसी दूकान, वाणिज्यिक संस्थान, अध्यात्मीय होटल, रेस्टोरेंट तथा नाट्कगृह में नियोजन	
15	किसी मुद्रणालय में नियोजन	
16	किसी सीमेंट पोल अवयासीमेंट से लिमित उत्पद में नियोजन	
17	किसी एलास्टिक उद्योग में नियोजन	
18	किसी फ्यूरन कोक में नियोजन	
19	किसी पूजा भट्टे में नियोजन	
20	किसी इट अटटे में नियोजन	
21	किसी पांचरबूम/जिसमें सायरिंग एवं प्रोसेसिंग भी समिलित है, में नियोजन	
22	किसी स्थानीय पाठिकरण में नियोजन	
23	किसी कोसा उद्योग में नियोजन	
24	किसी खाण्डकारी उत्पादन में नियोजन	
25	किसी पाटीज जिसमें रिफेक्टरी सामान, कामरप्रिक्स, सेलिट्री येअर, इन्सुलेट्स, टाईल्स, (सीमेंट से लिमित टाईल्स को छोड़कर) स्टोन येमर पाईप्स, कर्नेल, लोड्लिंग ग्रिस तथा अन्य सीरिजिकल सामान समिलित है, में नियोजन	
26	किसी जन्माल लिमाण कार्य में नियोजन	
27	किसी स्लेट येमिल निमाण काला में नियोजन	
28	किसी कस्ता उद्योग में नियोजन	
29	किसी रामरज गेह के लिमाण में नियोजन	
30	किसी हथकरघा उद्योग में नियोजन	
31	किसी घोड़मिल में नियोजन	
32	किसी टाईल्स जिसमें मेगालोर टाईल्स, अलाहबाद टाईल्स तथा अन्य स्थानीय नाम में प्रचलित टाईल्स समिलित है, परन्तु सीमेंट से लिमित टाईल्स समिलित नहीं है, के जिमाण में नियोजन	
33	किसी धिनिमाण परियोग जिसमें धिनिमाण प्रदिन्या जा रहे कारबाना अधिनियम, 1948 की धारा दो(ज) में वरिभावित की गई है, चलाई जाती है। जो अनुसूची में दी गई किसी अन्य परियोग के अंतर्गत वही भाती है, में नियोजन	
34	किसी पायोट अस्पताल जिसमें परामर्श केन्द्र तथा विकृति विजान (प्रेयात्मोजिकल) प्रयोगशाला समिलित है, में नियोजन	

35	किसी प्रायदेट शैक्षणिक संस्था, जिसमें जोर्चिंग केन्द्र भी सम्मिलित है, में नियोजन
36	किसी तैयार किए गये (रेहिसेड) वस्तु प्रिलिमोनशाला में नियोजन
39	किसी बदल जैसे कंफ़र, मुरेज, सेटार्ड, बॉल्ड, ग्रावेन शिंगड़ा, सापारण रती, लिफ्फिन स्टोन, रोड स्टोन, अर्थ कुम्हर, अर्थ और लाईन स्टोन तथा अन्य अद्वान जैसा आवान अधिनियम वीर धारा 3 के अधीन सूट पाप्त है, में नियोजन
40	किसी ऑटोमोबाइल्स कर्मशाला एवं बरखात देने संचालित बैरेजमें नियोजन
41	किसी बैकरी में नियोजन
42	किसी बोर्ड स्टोरेज (शीताकार) में नियोजन
43	किसी दुकान तथा चमगिजिक स्थापना में नियोजन
44	किसी होटल रेस्टोरेंट तथा भोजनालय में नियोजन
45	किसी सिनेमाघरों या थिएटरों में नियोजन
46	किसी कल्यान में नियोजन
47	किसी आस्थावी या किसी अल्कोहलयुक्त
48	किसी अधिकारपत्र या अटार्नी के अवधारण में नियोजन
49	किसी हेडर कार्टिंग सेस्कूल या एस्ट्री पर्सन में नियोजन
50	किसी डर्वरक या पेस्टीसार्फ़ (कीटनाशक द्रव्या) के विनियोग में नियोजन
51	किसी ड्रिलिंग प्रचलन या ट्र्यूबलेस के अनुरक्षण में नियोजन
52	किसी इलेक्ट्रोनिक्स या सहवाद कार्ब में नियोजन
53	किसी पेट्रोल या डीजल पर्म्या में नियोजन
54	मिटटी के किसी खुदाई कार्ब में नियोजन
55	किसी सोने और चांदी की वस्तुओं के प्रिलिमाण में नियोजन
57	किसी ऑटो रिफ्शन और टेक्सी चालाकों के कार्ब में नियोजन
58	किसी विषणव सोसायटीय, उपभोक्ता एवं ओपरेटर को-ऑपरेटिव सोसायटी और सहकारी बैंक (को-ऑपरेटिव बैंक में नियोजन)
59	किसी होजारी में नियोजन
60	किसी साधन नियोग (जिसमें डिटरजेंट भी शामिल है) में नियोजन
61	किसी डेयरी और दूध में उत्पादित वस्तुओं में नियोजन
62	किसी खिलोना इन्हाण, जिसमें कपड़े से लिमिट खिलोने भी सम्भवित है, में नियोजन
63	किसी मुख्य व्यवहार तथा डिटेक्टिव सेवाओं में नियोजन
64	किसी कुरियर तथा ऐर सरकारी हाक सेवाओं में नियोजन
65	किसी बाल प्रोसेसिंग कार्ब में नियोजन
66	किसी अधार, बड़ी, पापड़ तथा ऐसे ही खाद्य पदार्थ एसेंबलीज में नियोजन
68	किसी दूधाइयों एवं अन्य वस्तुओं के विक्रम सरवैन कार्ब में नियोजन
70	किसी सफाई कार्ब में नियोजन
71	किसी पुस्तकालय कार्ब में नियोजन
72	किसी सुरक्षा पर्यालिकी कार्ब में नियोजन

## भाग - दो

कृपि में नियोजन

(श्रीकाविता बनोठ)

अमायक्त,  
मध्य प्रदेश, इंदौर


उपर्युक्त

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, यह केलेण्डर माह की समाप्ति पर देख होगा, यदि किसी कमीचारी ने अधिनियम एवं उसके अतर्गत बनाये गये नियम के अनुसार संबंधित केलेण्डर मास के समस्त अवक्षण के द्वितीय का लाभ छाड़ाया हो और यदि किसी संटर्म में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारियों के प्रकार जो यिशिन्न धर्मोकरण में बताए गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, जो कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कमीचारी जो इस अधिसूचना में सन्मिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर यही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाले कमीचारी यो देय है।
3. कुशल, अद्विकुशल, अयुशल तथा उच्च युशल कर्मचारियों की परिभाषा –
  - (ए) “कुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का, जिसमें वह नियोजित किया गया है, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।
  - (ब) “अद्विकुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो सामान्यतः रोजमरा या एक निश्चित म्वरूप का काम करता है, जिसमें किंतु उसमें सार्वेक्षित रूप से ऐसे छाटे काम जो उसे सौंपे जाए, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हैं, इस प्रकार उसका कार्य वर्धी-वर्धाये रोजमरा के कार्य के करने तक ही सीमित है।
  - (ग) “अयुशल कर्मचारी” से अभिप्रेत है, जो ऐसे सरल कार्य करता है, जिसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या विल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। यथापि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिप्रेत होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे यिशिन्न वस्तुओं तथा माल तथा सेवाओं से परिप्रेत होना चाहिए।
  - (घ) “उच्च कुशल कर्मचारी” यह है, जो नकलीकी एवं विशिष्ट स्वरूप या कार्य करने में पूर्ण रूप से दक्ष हो, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग या जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके एवं तकलीकी डिग्री एवं डिप्लोमाधारी हो, उसे व्यवसाय, तकलीक शिल्प या उद्योग या जिसमें वह नियोजित किया गया है, पूर्ण एवं यिशिष्ठ ज्ञान होना अपेक्षित है।

अति कुशल कार्य से अभिप्रेत ऐसा कार्य है, जिसे करने के लिए सधित तकलीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण या कल्पित अण्डि के व्यवहारिक कार्य अनुभव से अजित सपूर्णता और पूर्ण सक्षमता की आवश्यकता होती है और कर्मकार से यह अपेक्षा की जाती है कि यह इन कार्यों के निष्पादन के बाब्द किये जाने वाले निर्णयों या विनियोगों के लिए पूरा जिम्मेदार है।

उच्च चुशल या अतिकुशल कर्मचारी वह है, जिसने किसी स्तरीय वकनीकी या व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् उचित अवधि का लघुहारिक कार्य अनुभव प्राप्त किया हो। जिसके आधार पर उसे सौंपे गये कार्य को दक्षतापूर्वक एवं काफी हद तक स्वतंत्रतापूर्वक अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए संपादित कर सकता हो तथा कार्य संपादन में तत्कालिक रूप में आवश्यक समान्य निर्णय ले सकता हो। ऐसा कर्मचारी तकनीकी डिग्री या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उद्योग का सम्बुद्धि ज्ञान हो, जिसमें वह नियोजित किये जा रहे हैं।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रबंधन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि यिसमात्र वेतन की दरों न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो यह किसी भी दशा में यज्ञ नहीं की जाएगी। जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समर्पण नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन की धारा 12(1-ए)।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपकरण में प्रदत्त वेतन दरों अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देव परियन्तरशील मंहगाइ भत्ते के बोग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपकरण द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परियन्तरशील मंहगाइ भत्ते दिये जाने का पातन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपकरण द्वारा देव न्यूनतम वेतन एवं परियन्तरशील मंहगाइ भत्ते का बोग अधिसूचित न्यूनतम वेतन एवं परियन्तरशील मंहगाइ भत्ते के बोग से कम है, तो अधिक अंतर वीर राशि के लिए पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन की दरों में न्यूनतम अजदूरी अधिनियम 1948 (लागत 11 सन 1948) की धारा 13 की उपचारा (1) के खण्ड (अ) के अधीन परिकल्पित किए अनुसार विशाम दिवस के साथै में पारिश्रमिक समिलित हैं।
7. जहां कर्मचारी खण्ड दर पर नियोजित हो, और इस अधिसूचना में उसके लिए खण्ड दर इस प्रकार निर्दिष्ट की जाए, जो आठ घण्टे दैनिक, एवं दिन कार्य करते हैं, एवं एक दिन सर्वेतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।
8. यदि एक से अधिक नियोजनों में एक ही स्वरूप का कार्य होता है, तो कार्यरत कर्मचारियों को प्रैहतर दौ देव होगी।
9. कर्मचारियों के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताये गये हैं, वे उदाहरण स्वरूप हैं, जो कि विस्तृत तथा ऐसे बग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में समिलित नहीं हैं, के लिए न्यूनतम वेतन की दर यही होगी जो समान प्रकृति का काम करने वाले कर्मचारी को देय है। अधिको एवं कर्मचारियों के वर्गीकरण की सूची संलग्न है।



(श्रीकांत जोशी)  
श्रम आयुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

अकुशल, अर्द्ध कुशल, कुशल स्वेच्छा कुशल श्रमिकों एवं वर्षांचारियों के वर्गीकरण की  
उदाहरणार्थ सूची:-

**अकुशल -**

मजदूर (पुरुष एवं महिला), निक्षत्री, स्वीपर, कलीनर/हेल्पर, आपरेटर/वित्त वाली, चपरासी/प्यून/धून्य, चौकीदार, आईन डालनेवाला, वाटरमेन, खल्लामी, व्हीकल अटेंडर, पहरेदार, कुली, डाक उनर, बॉचमेन, वाटल फ्लॉनर, वेटर, सर्टिस-मेन, गेटकीपर, ट्रॉली बोय, पोस्टरमेन, वेन्डर, प्रेसमेन, हेडेवाला, सिलाई औपनिंग, डिपिंग वर्षाये करने वाला, घरवाला, लांडी ल्यूडस मेन, लायर्सस्टड वेंडर, बालवाडी आया, गाम लक्ष्मी, जमादार, मजदूर प्याउ पर पाली पिलाने वाला, रोलफटर, जिन मुकादमा, जिन मुकादमी, कपास केरियर (डालनेवाला), गली बेग फिलर, लिटकेरियर, ब्रेटनरीटस केरियर, कपास पिकर, जिन फिलर, इग्लूवाला, बोडेवाली, बाशर, बाहन की सफाई करने वाला, सफाई कर्मचारी, कोसा फलों की नितनी करने वाला, कोसा फलों को छांटने वाला, कोसा फलों को आप देने वाला, कोसा फलों को सुखाने वाला, कोसा फलों की जस्ती काटने वाला, कोसा फलों को बोरी में भरने वाला, बोरों की सिलाई करने वाला, जन्ना डालने वाला, खोड़ सुखाने के काम में लगे श्रमिक, रसोइये के सहायक, हरवालदार, कार्डिंग लेफ्ट पैकर, बोरी शराई, उआइ, दुलाई, बेग लदाई कराई के काम में लगे श्रमिक, आया, वार्डवोय, सेक्युरिटी गार्ड/सुरक्षाकर्मी, अटेंडर, अटेंडर, वार्ड सप्लायर, पैंटर, सजावट करने वाला (महिला एवं पुरुष), फायरमेन, श्रमिक (फिलन्स), सेटस (फिलन्स), यादर में गोटा लगाने वाला, हम्माल, रेजा, हड़डी ढोने तथा साफ करने वाला, मिट्टी ढोने एवं भरने वाला, पेस कम काम करने वाला, लोण्ट्रीमेन, बोशरमेन, लोडिंग-अनलोडिंग, भाला गूँथना, पापड़ बेलने का कार्य, बेलवोय, वेटर, स्लम अटेंडेन्ट, धागा कटिंग, चैकिंग, वाटल एवं डिप्टे की सफाई धुलाई याता, लिफ्टर, सफाई करनार तथा अन्य अकुशल श्रमिक आदि।

**अर्द्ध कुशल -**

टार स्प्रेआर, टार हेण्डलर, कार्बेट ईसर, व्हाइट वारिंग/सफेदी वाला, टाईन टर्नर, पेशर, टाईपिस्ट, ब्लॉक, मोहरिर, सहायक निम्नी, ताईनमेन, सहायक चिजली निम्नी, सहायक आपरेटर-वाटर बर्से, कोबसर, हाफ प्रेसमेन, बिल मेन, सहायक बैकेनिक, सहायक फिलर, सहायक टर्नर, सहायक ड्रिलर, महायक गाइन्डर, सहायक कारपेन्टर, सहायक वेन्टर, सहायक टिक्कर, सहायक ब्लैकस्ट्रिप्प, सहायक ब्रॉलडर, सहायक बैलर, महायक यल्टकाईजर, सहायक इलेक्ट्रिशियन, सहायक शेपरमेन, सहायक पैटर्न मेकर, सहायक गोसर, सहायक अर्डलर, सहायक टायर फीटर, चालक (हल्के वाहन), परिधालक, जांच करने वाला लिरिकाक, बोलमेन, फायरमेन, लिपिक, पर्स अटेंडर, घीलवधो केरियर, क्वेरीमेन, ट्रायटिलिंग, क्लीनिंग, प्रेसरी इन्यूवर, टेबलेट मशीन आपरेटर, बातल फिलर, केप्सल फिलर, पैकिंग, लेयलिंग के कार्य में लगे श्रमिक, मुकादम, आइलमेन, मेट, हेड मजदूर, वायरमेन, एक्सप्लेटर मेन, मशीन अटेंडर, बिल क्लेक्टर, बिल क्लक, रिवाइन्डर, युकिंग सहायक सहायक रसोइया, पेटीमेन, सहायक सेन्सरमेन, मसालाई, सहायक अमल, गारेवाला, मिट्टी गूँथने वाला या मिट्टी का घोल बनाने वाला तथा निकालने वाला, अट्टे या चिम्नी पर डेट जमाने वाला, मशीन कोलर, स्टीपर फोलर, हेडफोलर, काटाफोलर, गंधालाला, महायक जोवर, महायक सचिव, जनण्ड पदवायत/ शाम पापायत, माइंजर, मशीन पर कोसा फल से धागा निकालना तथा धागे को मशीन से ट्रिप्ट करने के कार्य में लगे श्रमिक, सहायक सुपरवाईजर, फारमेन के सहायक, शब्दकर बताने वाला कारीगर, फिलिंशिंग कार्य भी सहायक, कलाई कर्मचारी, उन कलाई कार्यों के कतिले, कटर होजियरी, थीफर, महायक पैन आपरेटर, सहायक स्टार्टर, मुशी, कार्मसी असिस्टेंट, एक्सरे असिस्टेंट, ई.सी.जी असिस्टेंट, असिस्टेंट कंपाइन्डर, असिस्टेंट नर्स, लिफ्टमेन, सहायक सिक्युरिटी सुपरवाईजर, कॉपिस्ट, असिस्टेंट ईमरमेन, सहायक मशीन आपरेटर, मशीन अटेंडर, पर्स खलासी, ड्रिंपिंगवाला, सिलाईवाला, हेल्पर, विलन्स शोप श्रमिक, पंच औपरेटर एवं बैकसमूलर, फिलन्स श्रमिक, ब्लेजर पैन

मिल, प्रिव्यूजन, किलबन्स अनलोडसे, होजियरी मशीन हेल्पर, सहायक केन्डसा ऑपरेटर, चिपर, ब्रैकेटिक कम हेल्पर, बैन्डसा ब्रैकेटिक कम हेल्पर, सहायक शाल्टर, सहायक ब्रैकेटमेन, यिङ्गि सहायक, सूत स्टोक इंचार्ज, मशीन ऑपरेटर, सहायक ब्रिक्सरमैन, सहायक ट्रैकिंगशिवन, डर्करम सहायक, सहायक जिम ट्रैनर, सहायक गेम्स ट्रैनर, सहायक कोच, सहायक माली, सहायक कुक, युविंग कलाक, थ्रेसर, आया, पर्किंग याते, लेआर मैन, शट के पल्से खिलाने वाला, लूप्स ट्रॉकिंग, सहायक आभूषण कारीगर, भ्रातारक पोलिश वाला, आसिस्टेंट सुपरयाइजर, सहायक केमिस्ट, सहायक प्लाटर ऑपरेटर, सहायक गाइड, केआर ट्रैकर, माइयूलर सह आर्टिस्ट, वर्क सहायक, सहायक सर्वेशर, जेनीटर, यैफ्यूल चॉन्टर तथा अन्य अर्द्धकुशल कर्मचारी आदि।

## कुशल —

गौतमांगर, शोवेल एण्ड केन लाईन ग्रोवाइल फ्रेन ऑपरेटर, ब्रैमिस्ट, ड्रिलिंग मशीन ऑपरेटर, मेसन, प्लास्टर, पालिश पैटर, वायरमेन, इलेक्ट्रिशियन (आई.टी.आई, पास या मध्याप्रदेश अनुज्ञान मण्डल में लावसेंसपारी), केफिलेट ब्रैकर, चार्जमेन, एक्सपेलर मास्टर, एफाइक्टर, कशियर, गोडाउनकीपर, फिटर, बैंयलर अटैंडेंट, टनर, ओल्डर, जे.सी.वी. ऑपरेटर, हंजिन इयरवर, ट्रैक्टर इयरवर, ट्रक इयरवर, इम्पर इयरवर, रोडरोलर इयरवर, पाल्स(भारी वाहन), औटो इयरेटर, हंजिन इयरवर, ट्रैक्टर इयरवर, ट्रक इयरवर, इयरवर इयरवर, रोडरोलर इयरवर, पाल्स(भारी वाहन), औटो इयरवर, ट्रैक्टर इयरवर, ट्रैक्टर इयरवर, आर्डर मास्टर, वरीगर, ब्रिटाई ब्रान्से वाला कर्मचारी, पोहा बनाने वाला, कम्पोजिटर, टाईपकास्टर, हेडफ्लैक, संचिय, जलपद पंथायत/ग्राम पंथायत, पर्यवेक्षक, आयुर्वेदिक वैद्य, शिक्षक गाल्याडी या अशासकीय, औपरेटर वाटर यक्से, उपयांत्री विजली, घायवालव संयोजक, सिलियर गार्ड, एव्यरमेन, फिल्टर हंचार्ज ऑपरेटर, मुत्तैम, औपरेटर वाटर यक्से, उपयांत्री विजली, घायवालव संयोजक, सिलियर गार्ड, एव्यरमेन, फिल्टर हंचार्ज ऑपरेटर, मुत्तैम, बुड़ पोलिशर, गोर, ट्रिलस्मिथ, मुख्य लिपिक, स्टोरकीपर, ब्लैकस्मिथ, थेपर, ब्लक्कनाईजर, टिकर, फ्रेममेकर, अपहोलस्टर, कारपेटर, ट्रेलिफोन ऑपरेटर, वाकरलेस ऑपरेटर, पैटनमेकर, हमरमेन, ग्रामर, प्रदोगशाला लकड़ीशियन/लेबोरेटरी ट्रेकिनशियन शोवेल, बेस्सिंगर, प्रदोगशाला महायक, बैंयमिक्सर, प्लाण्ट अटैंडेंट, मोटरमेन, भट्टी वाला, पेटर, कोटोकांपी ऑपरेटर, लोहसे, अनलोडसे, लाईन एफर्स, ब्रिजली ब्रिस्ट्री, सिरमिस्ट, द्वल इंचार्ज, लेय मरिनिस्ट, कत्ताई हंचार्ज, कउप्रेसर ऑपरेटर, लोण्डी अटैंडर, कम्प्यूटर टायपिस्ट, सिम्युरिटी सुपरयाइजर, सीनियर कम्प्यूटर, कृत्ताई हंचार्ज, रेकार्डकीपर, आ.टी.ब्रैकेनिक, घयमस्थापक, घाजावास प्रभारी(वाईन), दजी, रोबर ब्रिस्ट्री, नकलीकी कर्म करने वाला व्यक्ति, वाईपर मास्टर, सूत विहरित करने वाला व्यक्ति, बोनक्शर, घरण्य चालक, मास्टर (वरीगर), जेकाई बुनकर, बुनकर, फेल्गल्म मास्टर, थेसरमेन, पैटर, वरिष्ठ लेखपाल, स्टोरकीपर, मशीन ऑपरेटर, बुड़ पोलिशर, इयरवरक्लीन डोजर, ह्येपर, डीजल पम्प आपरेटर, सीनियर ब्रैकेनिक, केमिस्ट/लेबोरेटरी के सहायक, ट्रेकिनशियन के सहायक, लायब्रेरियन (बायपाल), पाइपमेनर ऑपरेटर, पोलिशर, द्वल इंचार्ज (मेट, फिल्म), मेट, आर्ट सुपरयादजर, वेड ऐन ऑपरेटर, ब्रैकेनिक कम ऑपरेटर, वेडर, पेटस ब्रैकेनिक कम आपरेटर, संचितनिक संचिय, सेल्समेन, आर्ड सिक्युरिटी मार्ड, बाउन्सर, कलम मास्टर, जिम ट्रैनर, गेम्स ट्रैनर, कोच, डायटिशियन, असाजर, केप्टन, वारमेन, स्टचूड, वेकरी कारीगर, ओवर/भट्टी वारीगर, मशीन में ब्रिट्टी खोदने वाले, आभूषण कारीगर, पोलिश करने वाला, धातु गलाई-पीटना, तार छियला, आभूषण जडाई करने वाला, सोप ब्रैकर, प्लाण्ट आपरेटर, टोय ब्रैकर, लिचर, रिसेप्शनिस्ट, माली, डाटा एनलाईजर, डाटा एटी ऑपरेटर, मसाला बिश्वण करने वाला, आटा गूंथने वाला, चैकर, प्रोजेक्ट ऑपरेटर, प्रोजेक्शनिस्ट, रिवाइन्डर, हेडकुक, सर्वेशर, गाइड, सुपरयाइजर, सार्टर, वाइपर, ब्रैकेलाइजर हाउस कीपीग, सेल्स रिप्रेजेन्टेटिव तथा अन्य कुशल कर्मचारी

### उच्च कुशल -

मेडिकल एवं हैंडीनियर स्नातक, एम.टेक/एम.एस.सी. डिली पाठ्य संकाशे हंजीनियरिंग, कम्प्यूटर ऑपरेटर, जियोलॉजिस्ट, स्टेनोग्राफर, कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटाइपिस्ट, हंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद, साफ्टवेयर हंजीनियर, सिनियर साफ्टवेयर हंजीनियर, कम्प्यूलेटर, सिनियर कम्प्यूलेटर, टीम मेम्बर, टीम लीडर, सोफ्टवेयर डेवलपर, मेडिकल रिफ्रेजेनेटिव, सेल्स ऑफिसर, सेल्स प्रमोशन ऑफिसर, एरिया मनेजर, ट्रेनीटरी मनेजर, सेल्स एफजीक्युटिव, साईन्टिफिक ऑफिसर एवं अन्य उच्च कुशल कर्मचारी आदि।

(ऐसा कर्मचारी तपाकारी डिली या डिप्लोमाधारी हो, जिन्हें उस व्यवसाय, तकनीकी, शिक्षा या उण्डग का समुचित ज्ञान हो, जिसमें वह विद्योजित किये जा रहे हैं।)

### किसी मुद्रणालय (प्रिंटिंग प्रेस) में डिलाइन शिल्पियों के बर्णालण की सूची -

### उच्च कुशल -

कम्प्यूटर ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर कम्प्यूटर ऑपरेटर सह स्टेनोटाइपिस्ट, हंजीनियरिंग डिप्लोमाधारी, टेक्नीकल डिप्लोमाधारी एवं इसके समकक्ष पद।

### लिपिकीय श्रेणी "एक" जैसे -

एकाउन्टेंट, केशियर आदि।

### लिपिकीय श्रेणी "दो" जैसे -

बिल मेन, टायपिस्ट, खतक आदि।

### कुशल श्रेणी "एक" जैसे -

फोटोलिथोग्राफर, लिथोआर्टिस्ट, नेगेटिव स्ट्रीचर, लिथोऑफसेट, प्लेटमेकर, लिथोप्रेसमेन, लिथोऑफसेट प्लेटमेकर, लिथोऑफसेट कोपी प्रेस्टर, लिथोऑफसेट प्रिन्टर तथा लेश्वलेड प्रिन्टर, लिथोऑफसेट ट्रांसफर प्रिन्टर आदि।

### कुशल श्रेणी "दो" जैसे -

केमरा ऑपरेटर, कमशियल आर्टिस्ट, ड्राफ्टमैन, हेड कम्प्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, ऑफिसिनरएचर, ड्रायफलरेचर, लाइनो ऑपरेटर, लाइनो मेकेनिक, मेकेनिक ओनोटाइप, की-योड ऑपरेटर, ओनोटाइप मेकेनिक, रोटरी प्रेसमेन, सेक्शन होल्डर, सिनियर रीडर आदि।

### कुशल श्रेणी "तीन" जैसे -

कम्पोजिटर, टाइपकास्टर, ट्रांसफर प्रिन्टर, सिलेण्डर प्रेसमेन, शिल्डर कारपेटर, ट्रेडल प्रेसमेनएचर, गिलेटिन ऑपरेटर, रिवाइन्डर स्ट्रीचर मशीनमेन, कटर, बाइन्डर, सिविंग मशीनमेन, रूलिंग मशीन मैन, गायर स्ट्रीचर आदि।

### अर्द्ध कुशल शेणी "एक" जैसे -

लिथोऑफ्सेट, फिटरमेन, असिस्टेंट प्रेसमेन, वालिशमेन, वेक्सीनर, योक्सीन मशीनमेन, असिस्टेंट प्लेटमेकर, असिस्टेंट ट्रांसफर प्रिन्टर, असिस्टेंट लिथोआर्टिस्ट, टचरप्लेट, बैमर स्टोन योलिशर, असिस्टेंट कोणी पेस्टर, असिस्टेंट कटर, असिस्टेंट रोटा प्रिंटिंग आदि।

### अर्द्ध कुशल शेणी "दो" जैसे -

स्ट्रॉडिंग फर्मकीपर, ट्रेसर, फोल्डिंग मशीनमेन, जूनियर रीडर, बायस पंचर, हेण्डपौक्स या इन्चहलप मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर, असिस्टेंट केमरा भापरेटर, असिस्टेंट एचर, लेटर प्रेस फिटर, काउण्टर चेकर, नक्कर या पेंडिगमेन, चेकर पुफ कलर या गेली प्रेसमेन, टाईपप्रेसर, रोलर मेकर या कास्टर, इंक बाइन्डर, परफोरेटर, लैबर पंचर, रूलिंग फिडर, यिमिंगमेन, ड्राययर, डार्करूप असिस्टेंट, फाउण्डी, असिस्टेंट बाइंडिंग ऑपरेटर, जूनियर फ्लोपोजिटर, जूनियर बाइन्डर, जूनियर मशीन मेन, लाइलोगारमेन, रीटेल सप्लायर फीडर स्टीरियो, टाईपर, टाईप स्टोर फीपर आदि।

### अकुशल शेणी जैसे -

रोटरी शिलर, हेण्डफोल्डर, बालर) हेचपर बाइंडिंग बायलर कलीनर, अजदूर आकिजलरी, गेलीपूफ प्रेसमेन, बायलर मर्टेंडेन्ट, इश्यूवेकर, इचर, मेटर कास्टर, पेपर सप्लायर, कास्टिंग थाय, रोलर कास्टर, चौकीदार, प्लूत, माती, लिथो साधारण ऑफसेट तथा रोटा प्रिंटिंग प्रेस में कार्य करने वाला कर्मचारी आदि।

१५१९३१  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रम आयुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

## अनुसूची - च

### किसी स्टेट एवं देशमें जिसमें परिवहनशील अस्ताएँ अत्यन्त सहित हैं (आंकड़े रूपमें हों)

**आंकड़े एवं देशक येतन दरे जिसमें परिवहनशील अस्ताएँ अत्यन्त सहित हैं (आंकड़े रूपमें हों)**

नामसंख्या क्रमांक	परिवहनशील संस्थाएँ भवता	शुल्क येतन		भवित्व वाले वाहनों का अनुमाप कर एकीकृत दर	न्यूनतम येतन	परिवहनशील अस्ता	कुल येतन	उपयोग में गणकात्मक कर एकीकृत दर
		परिवहन	परिवहन					
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
6500	250.00	3150	121.15	9650	371.15	371	—	—
6705	257.85	3450	132.69	10155	390.58	394	—	—
8435	324.42	3450	132.69	11885	457.12	457	—	—
9522	366.23	3450	132.69	12972	498.92	499	—	—
9735	374.42	3450	132.69	13185	507.12	507	—	—
10155	390.57	3450	132.69	13605	523.27	523	—	—
<b>संपूर्णक्रम</b>								

- अनुसूची निर्धारण में दिसे तथा रूपये के उपांकों को गणनाएँ करने के लिए आंकड़े निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के दिविषय क्र. एफ.क्र.7/2006/नियम/ए.न.अनुसूची निर्धारण 20 फ़िబ्रुवरी 2006 में 50 और अधिक दैसे हो तो, उन्हें अनासे उच्चतर रूपये में दिया जायेगा और 50 देश में कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- अनुसूची विभिन्न वाहनों पर लेवर दरों पर अधिकार द्वारा विभिन्न द्वारा निर्धारित औपचारिक अनुसूची के लिए अधिकार द्वारा विभिन्न द्वारा विभिन्न अनुसूची अनुसार 25.3 (2001) के अनुसार अंकार्ड के अंसेत पर अधिकारित है। 25.3 रूपांक के उपर प्राप्ति 6 आहे मेरी ओर से जो अंसेत विद्युत होगी, उसी अनुपात में उपांक अनुसार 2014 से दिसंबर, 2014 के आधार अंकार्ड के अंसेत पर अधिकारित है। 25.3 रूपांक के दिसंबर 25 रूपये के दिसंबर 1 अंसेत लागें। संसदकार्यक्रम द्वारा नहीं दर्शाया गया विभाग येतन की दरे व्यवस्था येतन की प्रतीक्षित दरी है।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम येतन की दरों का प्रयोग नहीं दर्शाया गया विभाग येतन की प्रतीक्षित दरी है। (न्यूनतम अधिकार, 1998 की घटा 12(1-ए) अधिकार है, तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम येतन की दर उसके समाप्त नहीं हो जाती है। (न्यूनतम अधिकार, 1998 की घटा 12(1-ए))

  
अधिकारी व्यक्ति का छापा

अमरपुरास, इंदौर  
मार्च 2024



### अनुसूची – क

मानवयोगीकरण के द्वितीय शासकीय विभागों में कार्यरत द्वितीय विभाग, औणी शिक्षिकों एवं प्रबन्धाधारियों के सामिक एवं दैतिक वेतन दर्ता क्रियां

#### परिवर्तनशील महाद्वारा अंतता बहिरालित है (आंकड़े रूपांतर से)


परिवर्तन	द्वितीय वेतन	परिवर्तनशील नासाई अन्ता	फूल वेतन	राजभाषा कर दैतिक दर	स्पष्टीकृत दैतिक दर	न्यूतन वेतन	परिवर्तनशील अंहाई अन्ता	फूल वेतन			स्पष्टीकृत गांधीजी का दैतिक दर	
								परिवर्तनशील परिवर्तन				
								परिवर्तन	परिवर्तनशील परिवर्तन	परिवर्तन		
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक												
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
6500	216.66	3150	105.00	9650	321.67	322	अमुखल	6500	216.66	3325	110.83	
7057	235.23	3450	115.00	10507	350.23	350	अमुखल	7057	235.23	3625	120.83	
8435	281.16	3450	115.00	11885	396.17	396	युवल	8435	281.16	3625	120.83	
9735	324.50	3450	115.00	13185	439.50	440	अमुखल	9735	324.50	3625	120.83	

#### स्पष्टीकरण –

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे नथा स्पष्टीकरण के गणावर्चे वो राजभाष्य वर्तने की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क, एफ.9-7/2006/विभाग/वयर, दिनांक 20 मिस्रेन 2006 में 50पैसे अंशा उसमें अधिक पैसे से तो, उन्हें अगले वर्ष विवरण रूपांत्रे में प्रकाशित किया जावेगा और 50पैसे से कम राशि को अंग दिवा जावेगा। विशेष ध्येय ५ अपर्युक्त अनुसूची-क के विपरीत द्वितीय विवरण के द्वारे 30 दिन से विवरणित कर विवरीकृत कर गई है, इसलिए सभी कमर्चारियों द्वारे अधिकों को वेतन मर्हित कर्तव्याधिक अवकाश के लिए कोई कठोरी नहीं की जा सकती।

(2) अमुखल अधिकारों के लिए दर्शाई गई अंतत टरो पर लेवर और विभाग द्वारा विभिन्न अधिकार भौतिकों के लिए विभिन्न आरतीय उपभोक्ता गत्वा एवं अप्रैल 2014 के अंतार अंस्कहों का औसत पर लेवर दर्शाई गई है। 253 अधिकारों के अपर परि 6 लाख में ज्यों औसत वही होगी, उसी अनुपत्र में उपभोक्ता गत्वा सूप्रयोग में दृढ़ि दिनांक 1 और २ एवं 1 अम्बर और जैसी भी स्थिति हो, अंतिविन्दु परिवर्तनशील अंस्कह अंस्कह घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रका: भारतप्रचित न्यूनतम वेतन की दरों का वर्णन विज्ञी भी लगावेंगी एवं परिवर्तनशील वेतन की दरों का वर्णन विज्ञी भी लगावेंगी एवं वर्णन वेतन की दरों का वर्णन विज्ञी भी लगावेंगी एवं वर्णन वेतन की दरों को जावेगी। जब तक कि वर्मताम वेतन जूहे दर प्रमुख सरकार लंगे हो जावेगी। (न्यूनतम अधिविवाक, 1948 की धारा 12(1-ए) भारिक है तो उह प्रेमी भी दूजा में कम राशि की जावेगी, जब तक कि वर्मताम वेतन जूहे हो जावेगी। जब तक कि वर्मताम वेतन जूहे हो जावेगी। जब तक कि वर्मताम वेतन जूहे हो जावेगी।) लंगा

  
(वित्त विभाग बलात्त)  
अमित शर्मा,

अमित शर्मा,  
वित्त विभाग, भवन

**अमा आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 2/11/अन्वे/पांच/2015/ 28253-502


इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

**अधिसूचना**

मध्य प्रदेश राज्य में प्रभायशील न्यूलतम वेतन अधिनियम, 1948 की धरा 2(घ) में निहित प्रावधान, सहपठित मध्यप्रदेश शासन, अमा विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के अनुसरण में, मैं डॉ. रीरेन्ड सिंह रायत, अमायुक्त, मध्यप्रदेश एतद्वारा अधिक आरतीय कृषि अभिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात किया गया। माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए निम्नानुसार प्रकाशित करता हूँ:-

माह / वर्ष	अधिक आरतीय कृषि अभिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 1986-87=100)
जनवरी, 2023	1170
फरवरी, 2023	1171
मार्च, 2023	1175
अप्रैल, 2023	1180
मई, 2023	1186
जून, 2023	1196
औसत सूचकांक	1068 - 6 = 1179.67 (1180)

तथा इनका औसत 1180 घोषित करता हूँ, जो कि परिशिष्टित वियोजनों के अमिकों के लिये औसत निर्वाह व्यय सूचकांक (फास्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। जिसके आधार पर अमियामीय अधिसूचना क्रमांक 4 (ख)-1-2014-ए-सॉलर, दिनांक 04.03.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) में अधिसूचित वियोजनों के अमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक परिवर्तनशील मंहगाइ भल्ता देय है।

  
 (शोकांत गणेश)

अमायुक्त,  
 मध्य प्रदेश, इन्दौर  
 तथा न्यूलतम वेतन अधिनियम, 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राप्तिकारी

**श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर**

**कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं अभियंत्र के लिये दिनांक 1.10.2023 से  
31.03.2024 तक की अवधि तेजु परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की संलग्ना एवं पुनरीक्षित दरों  
के संबंध में लियरणात्मक ट्रीप :-**

श्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना फ़ारमांक एफ.4(बी)/1-2014-ए-सोलह, दिनांक 04.03.2014 (म.प्र.राजपत्र असाधारण भाग 4(म) दिनांक 10.10.2014) के अंतर्गत कृषि नियोजन में नियोजित कर्मचारियों एवं अभियंत्रों के लिए पुनरीक्षित दरों को अखिल भारतीय कृषि अभिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध फिया गया है।

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्र. 2/11/अन्वे./पांच/2015/28253-502 दिनांक 25/02/2023 के अनुसार कृषि नियोजन में जलवरी, 2023 से जूली, 2023 तक की अवधि में अखिल भारतीय कृषि अभिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 रहा है। गत छ: माही का औसत 1152 रहा था। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1152 के ऊपर (1180-1152)= 28 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणाम स्वरूप कृषि नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये 6/- प्रतिविन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये (6X28)= 168/- की वृद्धि हुई है। तदनुसार अखिल भारतीय कृषि अभिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 768 (1986-87=100) के ऊपर कुल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (1180-768) = 412 औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये (412X6)= 2472/- प्रतिमाह या (2472÷30) रूपये 82.40 प्रतिदिन यानी प्रतिमाह मंहगाई भत्ते सहित देय येतन 5350+2472= रूपये 7822/- तथा 7822÷30= रूपये 260.73 (राठण्ड-अप रूपये 261/-) प्रतिदिन (30 दिन के मान से) दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है। (अनुसूची- द के लिए)।

अनुसूची - ८  
कृषि में नियोजन

आर्थिक एवं दैनिक खेतीन दौरे किसमें परिवर्तनशील महाराष्ट्र सरकारित है (आंचले इयाँ दे)


नियन्त्रण प्रतीक्षा	परिवर्तनशील महाराष्ट्र अन्तर्रा.	फुल येतन	साधन में राज्यालय का शिविकों दैनिक दर	नियन्त्रण वेतन	परिवर्तनशील महाराष्ट्र अन्तर्रा.	कुल येतन	इयाँ में राज्यालय का दैनिक दर
प्रतिकाल	प्रतिक्रिया	परिवर्तन	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया	प्रतिक्रिया
दिनांक 01.04.2023 से 30.09.2023 तक						दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
5350	178.33	2304	76.80	7654	255.13	255	अनुकूल फूल वार्तालाल

स्पष्टीकरण - परिवर्तनशील महाराष्ट्र अन्तर्रा :

- (1) अनुकूल येतन की दौरे तभा परिवर्तनशील महाराष्ट्र अन्तर्रा, जो सेवर व्युत्रो शिवाळा द्वारा लियार्हा रुपि आर्थिक उपयोगेवता महाराष्ट्र अनुकूल 768 (1986-27=100) अन्तर्रा से जून.2014 के आधार अंकड़ों के औसत के द्वारा बढ़ि 6 माह में हुई औसत युनि के अनुप्राप्त में 0 अवद्यर में परिवर्तनशील अन्तर्रा 6/- (3. रुपयों) के अन्त में देव देवा। 0। अंतर्रा से देव परिवर्तनशील महाराष्ट्र अन्तर्रा भवते की गणना गत युलाई से दिसंबर तक 0. साह के औसत सम्भालक के आधार पर भी जावेगी। इसी प्रकार 0। अनुकूल से देव परिवर्तनशील महाराष्ट्र अन्तर्रा की गणना गत जानवी से जूल तक 0. साह के औसत सूपांकों के आधार पर भी जावेगी।

- (2) अनुकूल नियंत्रण से दैव तभा रुपयों के गुणांकों को राज्यालय करके ही दैविक एवं शासिक महाराष्ट्र नियंत्रित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपन क. एक.३-७/२००६/दिवाया/चार, दिनांक 20 नियंत्रण 2006 में 50 घेसे अनुकूल येतन से अधिक ऐसे हो तो, उन्हें आगामे उच्चतर रुपयों में परिवर्तन नियंत्रण जावेगा और 50 घेसे से कम यासी को छेद दिवा जावेगा।

- (3) आर्थिक येतन पर नियुक्त किसी कम्पेणरी का दैविक येतन 30 में भाग देकर संगठित किया जावेगा।  
 (4) आपेक्षायित न्यूनतम येतन की दौरा का प्रयत्न किसी भी कम्पेणरी पर परिवर्तनशील येतन की फूलवाली दैव विवरण देता से फूलवाला विवरण लिहा जावेगा, वह येतन कि व्यूहताम येतन की दौर उसक सम्भाल लावी ही जावी है (न्यूनतम अधिक्षियम, 1946 वी धारा १८(१-ए))  
 (5) इस अप्रियत्यन्त के अंतराल येतन दौर महिला एवं पुरुषों के लिए एक सम्भाल नियंत्रण है।  
 (6) कृषि नियोजन के अंतिरिक्त सभी तियोजनों के लिए नियंत्रित व्यूहताम येतन दौरों में न्यूनतम मानवी अधिक्षियम, 1948 (1948 का 11) की पारा 13 की उपाया (1) के यांत्र (ए) के अंतर विवरण दिया जावेगा देवर के संकेत में आर्थिक नियंत्रण है।

  
(लोकतंत्र वर्षावाल)

मराठा प्रदेश, इस्तम  
क्षमाव्यवस्था,

श्रमाधुक्त कार्यालय, भृत्यप्रदेश शासन, इंदौर

क्रमांक: 3/11/अन्वे./पांच/2015/ 10869—1118

इंदौर, दिनांक ३/१२/२०२३

आधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सहाय प्राधिकारी के अधिकार श्रमाधुक्त भृत्यप्रदेश इंदौर को भृत्यप्रदेश शासन, अग्र विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-९/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्ता प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एवं दृष्टिकोण अखिल भारतीय उपक्रमोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि ग्रामत शासन के तंत्रज्ञ व्यूरो, शिवला से ज्ञात कर, ५ लाई गीरेंड्र सिंह शबत, श्रमाधुक्त, भृत्यप्रदेश इंदौर विभाग जनवरी 2022 से दिसंबर 2022 तक के माहों के लिये सूचकांकों में निम्नानुसार आशिक सांकेतिक प्रक्रियित करता है—

माह/वर्ष 2022	अखिल भारतीय भीड़ी उपक्रमिता मूल्य सूचकांक (प्राथम एवं १९६४=१००)
1. जनवरी, 2022	8223.90
2. फरवरी	8217.32
3. मार्च	8283.06
4. अप्रैल	8394.82
5. मई	8480.28
6. जून	8493.43
7. जुलाई	8539.44
8. अगस्त	8559.18
9. सितम्बर	8631.48
10. अक्टूबर	8710.36
11. नवम्बर	8710.36
12. दिसंबर, 2022	8697.22
औसत	101940.83 ÷ 12 = 8495.06 औसत (8495)

(१०) ऊपरानुसार इनका औसत 8495 घोषित करता है। जो कि किसी उपचालु (जिला) भीड़ी इनका भी शामिल है, के नियमित में नियोजित अग्रिमों के लिये वार्षिक औसत निवाह व्यय सूचकांक (एनुअल एवरेज कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स गबर) रहेगा। इस आधार पर अग्र विभागीय एवं अग्र विभाग भोपाल की जिलाधारा वा कृषक एफ एसी (१-२०१३-१-सोलह दिनांक ०८.१२.२०१४ (निप्र राज्यपत्र में गांग ५(ग) दिनांक १२ दिसंबर २०१४ में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परिवर्तनशील महाराई भेला भीड़ी अग्रिमों को दिनांक ०१/०४/२०२३ से ३१/०३/२०२४ तक देय रहेगा।

  
(डॉ. वीनोद सिंह रावत)

अग्र आगुपत्र,  
भृत्यप्रदेश, इंदौर  
उथा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948  
के अंतर्गत सहाय प्राधिकारी



## 2. रिलाई अभियंक

### अ. शीढ़ी के कट्टों पर डिल्सी लगाना

- लेवल चिपकाने तथा पुड़ी को बनाने या फिपकाने सब्दी कार्य
- यदि कट्टे पर दोनों ओर लेवल लगाया जाता है

रुपये 52.39 प्रति 1000 कट्टों पर  
(02 पौरी प्रति दो हजार)

रु. 31.96 रुपये 84.36  
(02 पौरी प्रति दो हजार)

रु. 31.96 रुपये 88.22  
(02 पौरी प्रति दो हजार)

### ब. डिल्सी पर लेवल लगाने सब्दी कार्य

- डिल्सी पर लेवल लगाना
- डिल्सी लगाना
- लेवल लगाना
- पुड़ा लगाना

रुपये 45.95 प्रति एक हजार कट्टों पर  
(02 पौरी प्रति दो हजार)

रुपये 33.54 प्रति एक हजार कट्टों पर  
(03 पौरी प्रति चार हजार)

रुपये 12.84 प्रति एक हजार कट्टों पर  
(02 पौरी प्रति आठ हजार)

रुपये 18.26 प्रति एक हजार कट्टों पर  
(02 पौरी प्रति आठ हजार)

रु. 7.99 रुपये 77.91  
(02 पौरी प्रति दो हजार)

रु. 23.97 रुपये 57.51  
(03 पौरी प्रति चार हजार)

रु. 7.99 रुपये 20.63  
(02 पौरी प्रति आठ हजार)

रु. 7.99 रुपये 21.24  
(02 पौरी प्रति आठ हजार)

### स. प्रक. हजार कट्टों पर अवधि 25 मैट्रिक्स का कट्टा हो

- अड़ी तथा खड़ी पट्टी लगाने का कार्य हो
- डिल्सी आटो गाथा लड़ी लगाने का कार्य हो
- डिल्सी तथा नक्की डिल्सी लगाने का कार्य हो

रुपये 192.64 प्रति एक लाख बीड़ी पर  
(04 पौरी प्रति लाख बीड़ी पर)

रुपये 213.59 प्रति एक लाख बीड़ी पर  
(04 पौरी प्रति लाख बीड़ी पर)

रु. 127.84 रुपये 320.48  
(04 पौरी प्रति लाख बीड़ी पर)

रु. 127.84 रुपये 341.49  
(04 पौरी प्रति लाख बीड़ी पर)

रु. 127.84 रुपये 341.43  
(04 पौरी प्रति लाख बीड़ी पर)

नो:- बीड़ी नियंत्रण के संबंध में देखिक एवं मालिक दो तो येता नामे वाले कर्तव्याधिकारी द्वारा दिए गए दोनों नियमों का उल्लंघन करने का कार्य इनमें घास, गहरी वाला रसोईच, लालबर जूती वाली दोनों दो विभिन्न एक स्वदेश मुखीम बीरियार, गोडाहरनकीपर और इनकी दो दोषित, बिलासिन, चलके गुरु, बाबीद एवं दो दो न्यूलाल वाले अस्तित्विय के अलगी रामाय व नियांसि वृक्ष, अर्द्धुरात शैणों व अन्यान के वेदन ने अनुसार नियमित होने।

इस प्रयोजन के लिये उपर्युक्त कर्मचारी का वर्गीकरण निम्नानुसार दिया जायेगा।


- 1— खुशल— डॉथरर (चालाक) (पारी घटन), एकाइटेन्ट, मुंगेर, केंद्रिय, स्टोरफीचर हंडबलर, गोडाउन कीपर
- 2— अर्धकुशल— श्रीडी छाटने तथा जांच करने वाला, गट्टीवाला, रक्षाइया, ड्राईवर (हंडल वाहन) टाईपिरट, बिलबेन, वलक



(डॉ. बीरेन्द्र सिंह राठूर)  
 श्रम आयुक्त,  
 गणप्रदेश, इटौर  
 तथा न्यूनतम चेतन अधिनियम 1948  
 के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

Effectiv Wages of Beedi Rollers (for rolling of 1000 Beedies)Effective from 1/04/2023 to 31/3/2024V.D.A. revisable annually with effect from 01/04/2023

1.	Basic Wage	74.00
2.	Variable Dearness Allowance	31.96
3.	Leave with Salary (@5% of total wages)	5.30
4.	Total Wages	111.26
5.	Bonus (@ 8.33% of Total Wages)	9.27
6.	P.F. contribution of employer (@ 10% of total wages)	11.13
7.	Total wages + Bonus+PF Contribution) Less Contribution of employer (-)	131.66
8.	Total Wages + Bonus	120.53
9.	Less PF Contribution of employee (@10% of Total Wages (-)	11.13
10.	Net Payable to Beedi Roller	109.40



(Dr. Virendra Singh Rawat)  
 Labour Commissioner  
 Madhya Pradesh, Indore


श्रमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर  
फलमांक 3/11/अन्ये/पांच/2015/ 28503-450 इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

### अधिसूचना

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन भ.प्र.शासन, अम विभाग की अधिसूचना फलमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.5.1982 के द्वारा सभाम प्राधिकारी के अधिकार अमायुक्त, मध्यप्रदेश शासन को प्रत्यायीजित किये जाने से उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो कि भारत शासन के संबंध में, श्रीकांत बनोठ, अमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर विभाग जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिये सूचकांकों में लिम्नानुसार आंशिक संशोधन प्रक्रियित करता है :-

	माह / वर्ष	अखिल भारतीय बीडी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
1	जनवरी, 2023	382.46
2	फरवरी, 2023	382.18
3	मार्च, 2023	383.90
4	अप्रैल, 2023	386.50
5	मई, 2023	387.94
6	जून, 2023	392.83
	औसत सूचकांक	2315 + 6 = 385.97 (386)

तथा उक्तानुसार इनका औसत 386 घोषित करता है, जो कि किसी तमाकू (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजित अग्रिमों के लिये वार्षिक औसत लिंवाह व्यय सूचकांक (एन्युअल एवरेज कास्ट औफ लिविंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर अम विभायीय अधिसूचना फलमांक एफ-4(सी)।-2013-ए-सोलह, दिनांक 08.12.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र के आग 4(ग) दिनांक 12 दिसंबर 2014 में प्रकाशित) के द्वारा निर्दिष्ट परियान्वयनशील मंहगाई भत्ता नियोजित दैनिक या मासिक दा से वेतन पाने वाले कर्मचारियों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय रहेगा।

  
(श्रीकांत बनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर  
तथा न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सभाम प्राधिकारी

किसी तस्वार (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में लियोजित शिक्षिकों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई भन्ते की संवेदना एवं प्रतिवेशित दरों के संबंध में विवरणात्मक दृष्टि

अम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-४[सी]-५-१५-१६-ए, दिनांक ५.६.१९९७ (म.प.राजपत्र दिनांक ७.६.१९९७) एवं अम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-४[सी] १-२०१३ दिनांक ८.१२.२०१४ (म.प.राजपत्र भाग (ग) दिनांक १२ दिसंबर, २०१४) के अंतर्गत किसी तस्वार (जिसमें बीड़ी बनाना भी सम्भवित है) के विनिर्माण में नियोजन में दरों को अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है। जो दिनांक ०१.१०.२०२३ से ३१.०३.२०२४ तक देय है।

आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक ३/११/अन्वे/पांच/२०१५/ २८५०३-७५० दिनांक २५/०९/२०२३ के अनुसार जनवरी-२०२३ से जून-२०२३ तक की अवधि में अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य, सूचकांक का औसत ३४६ रहा है। गत छ: माहों का औसत ३७९ रहा था। अतः इसके कारण गत छ: माहों में मान्य दिये गये अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (३४६-३७९) = ०७ पार्टन्ट) ०७ औसत विन्दुओं की युद्धि हुई है। जिसके परिणामस्वरूप बीड़ी नियोजन में दैनिक एवं मासिक घेतन दरों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए परिवर्तनशील मंहगाई अन्ता रूपये २५/- प्रतिविन्दु प्रतिमाह के मान से रूपये  $25 \times 0.7 = 17.5$  रूपये प्रतिमाह की युद्धि हुई है। तदनुसार अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में २३९ (२००१=१००) के ऊपर युल उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में  $346 - 239 = 147$  औसत विन्दुओं की युद्धि हुई है। इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भन्ते की कुल राशि ( $25 \times 147$ ) रूपये ३६७५/- प्रतिमाह अथवा  $(3675+26)=$  रूपये ३७०१/-प्रतिदिन। प्रतिमाह ८७५० रूपये या  $8750+26= 336$  रूपये ५४ प्रते प्रतिदिन दिनांक ०१.१०.२०२३ से ३१.०३.२०२४ तक देय होगा।

बीड़ी निर्भाग के संबंध में दैनिक या मासिक दर से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की दर परिवर्तनशील माहगांठ भत्ता  
समिति दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक निम्नानुसार है :-


(आंकड़े रुपये में)

क्र.	कर्मचारियों का योग्य	मूल वेतन		परिवर्तनशील माहगांठ मूलता		कुल वेतन		स्पष्ट राउंड अव में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	तमाक तथा लेन्डपॉल्टा देवे या बीड़ियां पापा यमने एवं उसकी उठाने करने संबंधी कार्य करने वाला व्यक्ति, तमाक नियन्त्रण तथा उठाने का कार्य करने के लिए, अट्टी वाला, रसोइया, वाहन ड्रायर(चालक) हस्तों वाहन, टायपिस्ट, कर्क बिलबोल	5075	195.19	3675	141.35	8750	336.54	337
2	दफे में माल घडाने या ऊतारने या बीड़ियाँ के एड़ों को अरने के कार्य में लगे व्यक्ति, भूत्य, चौकीदार	4945	190.19	3675	141.35	8620	331.54	332
3	ड्रायर (चालक) आरी वाहन, एकाइलैट, मुत्तीभ, कैशीयन, स्टोर कीपर, गोडाइलवीपर, हेङ्कलर्के।	5225	200.96	3675	141.35	8900	342.31	342

### स्पष्टीकरण

- मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को शाउण्ड-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। वित्त विभाग के परिषद्र क्र. एफ 9-7/2006/ लियम/वार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णाङ्कित किया जायेगा और 50पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।
- इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का पर्यावरण किसी भी कम्बियारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। यदि विषमान वेतन की दरों न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी। जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 12(1-ए))
- न्यूनतम वेतन दरों का पर्यावरण किसी भी कम्बियारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विषमान वेतन की दरों पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जायेगी, न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 की धारा 13 की उपचारा (1) के षष्ठं (छ) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विभाग दिवस के संबंध में परिश्रमिक इन वेतन दरों में सम्मिलित है।
- परिवर्तनशील महगांठ भत्ता उपरोक्त अनुसूची-ई के स्तम्भ तीन में लेखर घ्यूरा शिमला द्वारा निश्चित और्योगिक अंतिकों के लिये अधित भारतीय उपभोक्ता मूल्य मूल्यकांक 5635(2001=100) पर अधारित है। 5635 सूचकांक

- के ऊपर प्रति एक वर्ष में जो औसत यूंडि होगी, उसी अनुष्ठान में अनुसूची के स्तम्भ संख्याक 4 में यूंडि दिनांक 01 जनवरी से की जायेगी और स्तम्भ तीन में परिवर्तनशील मंहगाई अन्ते में हुई वह यूंडि परिवर्तनशील मंहगाई अन्तता मानी जायेगी। एक जनवरी से देव परिवर्तनशील मंहगाई अन्ते की यूंडि की गणना गत जनवरी से दिसम्बर तक के एक वर्ष के औसत सूचकांक के आधार पर की जायेगी। जिसकी घोषणा अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा समय समय पर प्रकाशित की जायेगी।
5. लिंगारित्र आसिक घेतन केलेण्डर माह की समाप्ति पर देव होगा, एक दिन का घेतन संगणित करता हो तो आसिक घेतन को 26 से भाग टेकर संगणित किया जायेगा।
  6. जहर्म लियोजक प्रति सप्ताह 5600 बीड़ी बनाने के लिये लगने वाला कच्चा माल तम्बाकू, नेन्दूपत्ता, धारा पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पात्र है, तब कर्मचारी कम से कम 5600 बीड़ी के लिये देव घेतन तथा विशेष मंहगाई अन्तर्गत प्रति सप्ताह जिसे आगे गारण्टेड वेज कहा जायेगा, प्राप्त करने का अधिकारी होगा।
  7. गारण्टी वेज में कर्मचारी द्वारा किसी भी दिन उसके लियोजक द्वारा दिये गये कच्चे माल की मात्रा में वास्तव में बनाई जई बीड़ी का जो घेतन अंजित करेगा वह भी सम्मिलित होगा।
  8. यदि कर्मचारी किसी अन्य कारण या इच्छा से किसी भी दिन गारण्टी वेज की राशि से कम घेतन अंजित करता है, तो कर्मचारी गारण्टेड वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
  9. जो कर्मचारी दिये गये कच्चे माल की मात्राका यथापि वह 5600 बीड़ियां सप्ताह में बनाने के लिये पर्याप्त हो, का पूरा रूप से उपभोग नहीं कर पाता है, तो यह गारण्टी वेजन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।
  10. आग, विषणि, महामारी, अमैनिक हाँस या इसके सम्मान अन्य स्थिति में जो लियोजक के लियंगण के बाहर है, यदि नियोजक कर्मचारी को कच्चा माल नहीं दे पाता है, तो कर्मचारी गारण्टी वेज प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

  
 (श्रीकांत ललोठ)  
 अमायुक्त,  
 सचिव प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त लायोलय मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015/ २८४५१-७७७

इन्दौर दिनांक २५/०९/२०२३

अधिसूचना

अग्रवत्ती उद्योग

न्यूनतम बेतन अधिनियम, 1948 की धारा 4(2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के अधिकार श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर को मध्यप्रदेश शासन, अम विभाग की अधिसूचना क्रमांक 3761/613/16-ए/82, दिनांक 25.05.1982 के द्वारा प्रत्यायोजित किये जाने से, उक्त प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के लेबर ब्यूरो, शिमला से जात कर, मैं डॉ. वीरेन्द्र सिंह रायत, श्रमायुक्त, मध्यप्रदेश इन्दौर विभाग माह जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक के माहों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत निम्नानुसार घोषित करता है:-

माह / वर्ष	अधिक भारतीय अग्रवत्ती उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100)
जनवरी, 2023	382.46
फरवरी, 2023	382.18
मार्च, 2023	383.90
अप्रैल, 2023	386.50
मई, 2023	387.94
जून, 2023	392.83
औसत सूचकांक	2315 ÷ 6 = 385.97 (386)

तथा विभाग रुपांतरी का औसत 386 घोषित करता है, जो कि अग्रवत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिये औसत निर्याह व्यव सूचकांक (कास्ट ओफ सिर्विंग इंडेक्स नंबर) रहेगा। इस आधार पर अम विभागीय अधिसूचना क्रमांक 4(सी)-1-2013-ए-सीलह, दिनांक 29.09.2014 (मध्यप्रदेश राजपत्र क्रमांक 41 दिनांक 10.10.2014 से प्रकाशित) एवं अम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक भाग 4(ग) दिनांक 10.10.2014 के द्वारा निर्देशित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता अग्रवत्ती उद्योग में नियोजित श्रमिकों को दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक देय है।

२५-९-२०२३  
(श्रीकांत घनोठ)

श्रमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर  
तथा न्यूनतम बेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी

**परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते के संबंध में विवरणात्मक दोष  
अग्रबद्धता उद्योग**

व्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(सी) 1-2013-ए-सालह, दिनांक 29.09.2014 एवं व्रम विभाग, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक आग-4(ग) दिनांक 10.10.2014 (मध्य प्रदेश राजपत्र दिनांक 10.10.2014 में प्रकाशित) के अंतर्गत अग्रबद्धता उद्योग में नियोजित श्रमिकों की न्यूनतम वेतन दरों को अधिल भारतीय उपभोक्ता भूल्य सूचकांक से संबंध किया गया है।

व्रमायुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर की अधिसूचना क्रमांक 4/11/अन्वे/पांच/2015 / २७५१—६१९३ दिनांक २५/०९/२०२३ के अनुसार जनवरी-२०२३ से जून-२०२३ तक की अवधि में अधिल भारतीय उपभोक्ता भूल्य सूचकांक का औसत ३४६ रहा है। गत छः माहों का औसत ३७९ रहा था। अतः इसके कारण जत छः माहों में मात्र किये गये अधिल भारतीय उपभोक्ता भूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (३४६-३७९) = ०२ पाइंट) ०२ औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके परिणामस्थल अग्रबद्धता नियोजन में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रूपये २५/- प्रतिमाह के मान से रूपये  $25 \times 0.7 = 17.5$  रूपये प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। तदनुसार अधिल भारतीय उपभोक्ता भूल्य सूचकांक में २३९ (२००१=१००) के ऊपर कुल उपभोक्ता भूल्य सूचकांक में  $386 - 241 = 145$  औसत बिन्दुओं की वृद्धि हुई है एवं इस तरह परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की कुल राशि रूपये  $25 \times 145 = 3625$  प्रतिमाह या  $3625 + 26 = 3981$  रूपये ४२ पैसे प्रतिदिन दिनांक ०१.१०.२०२३ से ३१.०३.२०२४ तक देय है तथा इसी तरह प्रति एक हजार अग्रबद्धता रोल करने पर (१०० पैसे प्रति ४०००) के मान से अर्थात् २५ पैसे प्रति एक हजार बिन्दु के मान से कुल बिन्दु १७५ पर ( $145 \div 4 = 36.25$ ) रूपये ३६.२५ पैसे परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता दिनांक ०१.१०.२०२३ से ३१.०३.२०२४ तक देय होगा।

**अनुसूची – एफ**

**अग्रबद्धता उद्योग में नियोजित श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी की दरें**

कर्मचारियों का वर्ग	न्यूनतम मजदूरी	न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित मंहगाई भत्ते की दरें	कुल न्यूनतम वेतन
(अ) अग्रबद्धता रोलर्स (१००० अग्रबद्धता रोल करने पर) साधारण	21.40.	रु. ३६.२५ 100 पैसा प्रति ४००० (२५ पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 57.65
(ब) सुगंधित (स्टेड)	22.00	रु. ३६.२५ 100 पैसा प्रति ४००० (२५ पैसा प्रति बिन्दु)	रूपये 58.25

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन दरों का प्रबंधन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं आतेगा, यदि विषमात वेतन की दर न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दरों में कम तरीं की जायेगी, जब तक कि न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम, १९४८ की पारा १२(१-ए)

(आ) निम्न वजन के अनुसार अवरोहती गिरना, बटर पेपर की ड्रिल्सी स्पेटना, यात्री पैकेट में सरकर पैकेट के दोनों ओर चिट लम्बकर पैकेट बन्द करना।

दिना सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 20.48	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 49.48
2. 20 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
3. 30 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
4. 40 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु 27.23	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 63.48
5. 70 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 36.58	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.43
6. 80 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 41.54	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 99.54
7. 100 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
8. 200 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 52.76	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 125.26

सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु. 21.34	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.34
2. 20 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.85
3. 30 शाम वजन के	प्रति सैकड़ा रु 33.00	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 80.85

4. 40 घाम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 34.48	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 82.33
5. 70 घाम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 37.03	रु. 47.85 100 पैसा प्रति 300 (33 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 84.88
6. 80 घाम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 43.12	रु. 58.00 100 पैसा प्रति 250 (40 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 101.12
7. 100 घाम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 51.00	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 123.50
8. 200 घाम यजन के	प्रति सैकड़ा रु. 54.47	रु. 72.50 100 पैसा प्रति 200 (50 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 126.97

(इ) निम्नानुसार पुण्यती खाताकर पैक करता हिस्त संख्या में अग्रवतियों को गिनत कर छिल्टी नपेटना, पुण्यती में भरना, लेवल या सिलोफेन या जिलेटिन का ब्राउन पेपर लगाकर बन्द करना।

#### बिला सिलोफेन या जिलेटिन के

1. 10 अग्रवत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 16.98	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 41.63
2. 12 अग्रवत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 17.80	रु. 24.65 100 पैसा प्रति 600 (17 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 42.45
3. 23 अग्रवत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 21.30	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 50.30
4. 50 अग्रवत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 22.19	रु. 29.00 100 पैसा प्रति 500 (20 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 51.19
5. 100 अग्रवत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 26.60	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 62.65
6. 200 अग्रवत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 28.70	रु. 36.25 100 पैसा प्रति 400 (25 पैसा प्रति बिन्दु)	रुपये 64.95

(f) सादे लिफाफे में अगरबत्ती रखकर छन्द करना।

1. 5 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 3.85	रु. 5.80 100 पैसा प्रति 2500 (04 पैसा प्रति घिन्दु)	रुपये 9.65
2. 10 अगरबत्ती के लिए	प्रति सैकड़ा रु. 4.44	रु. 7.25 100 पैसा प्रति 2200 (05 पैसा प्रति घिन्दु)	रुपये 11.69
3. पुंगली बलावे के फागाज (रोलिंग पेपर्स)	प्रति सैकड़ा रु. 36.34	रु. 10.15 100 पैसा प्रति 1500 (07 पैसा प्रति घिन्दु)	रुपये 46.49

**कर्मचारियों का वर्ग (आसिक दर) न्यूनतम मजदूरी**

दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक

(आंकड़े कपवर में)

क्र.	कर्मचारियों का वर्ग	मूल येतन		परिवर्तनशील महगाई भत्ता		कुल येतन		राशण्डअप स्पेष्य में दैनिक दर
		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
1	पुरुष याताने याता, मसाला अरने याता, भूत्य खोकीदार,	5939	228.42	3625	139.42	9564	367.85	368
2	टाइपिस्ट, कलर, पेटी भरने याता, मसाला तोलने याता,	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
3	एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन फीपर, बिस्ती, ड्रायवर, पेटी भरने याता,	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464

**नोट —** अग्रवाली उर्धोग में सब्द कर्मचारी जैसे, पेटी भरने याता, बिस्ती, ड्रायवर, पेटी भरने याता, मसाला तोलने याता, एकाउन्टेंट, केशियर, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कलर, भूत्य आदि की दैनिक या आसिक मजदूरी न्यूनतम वेतन अधिनियम के अधीन कुशल, अद्वितीय, एवं अकुशल प्रवर्ग की मजदूरी के अनुसार विनियमित की जावेगी।

स्पष्टीकरण —


- मजदूरी विधान में पैसे तथा रूपये के गुणांकों को राशण्ड-अप करके ही दैनिक एवं आसिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिषद्र क्रमांक एफ 9-7-2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितंबर, 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अग्रवाल उच्चतम रूपये में पूर्णकित किया जायेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।

इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम येतन की दरों का प्रबलन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि वियमान येतन की दरै न्यूनतम येतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम वहीं की जावेगी, जब तक कि न्यूनतम येतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिसूचना, 1948 की धारा 12(1-ए))

- अनुसूची के कोलम 2 में उपदर्शित उच्चतम मजदूरी के अतिरिक्त परिवर्तनशील महगाई भत्ता (वी.डी.ए.) जनवरी, 2014 से जून, 2014 में औसत अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (जिसे इसमें इसके पश्चात सूचकांक कहा जायेगा) 241 (2001=100) से अधिक पर इस अधिसूचना के कोलम 3 के उपदर्शित प्रत्येक काम के लिये प्रतिवर्ष उच्चतम रूपये 25.00 प्रति बिन्दु परिवर्तन याता की दर से तथा आसिक दर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिये रूपये 25.00 प्रति बिन्दु परिवर्तन याता की दर से संदेश होंगा। जिसकी गणना प्रत्येक छ माही जुलाई से दिसंबर

तथा जनवरी से जूल, जैसी भी स्थिति हो, के ओसत सूचकांक के आधार पर की जावेगी और कमातः 01 अप्रैल तथा 01 अक्टूबर से देय होगी। इस प्रकार संगणित परिवर्तकशील महानाई भल्ला न्यूनतम बेतन या अग होगा। उपर्युक्त ओसत सूचकांक न्यूनतम बेतन अधिनियम, 1948 के अधीन सकाम प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर घोषित किया जावेगा।

3. अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी की दरों का प्रवर्तन किसी भी कमेंटरी पर प्रतिष्ठान प्रभाव महीं डालेगा। यदि विषमता मजदूरी की दरें न्यूनतम मजदूरी की पुनरीक्षित दरों से अधिक हैं, तो यह किसी भी परिस्थिति में कम नहीं ली जायेगी। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की पारा 13 की उपधारा (1) के बाण्ड (या) के अधीन परिवर्तित किये गये अनुसार विज्ञाम दियम के सबंध में पुनरीक्षित दरों में पारिश्रमिक ओ सम्मिलित होगा।

  
(श्रीकांत जोशी)

श्रीकांत जोशी,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर  
तथा न्यूनतम बेतन अधिनियम, 1948  
के अंतर्गत सकाम प्राधिकारी

**शमायुक्त कार्यालय, मध्यप्रदेश शासन, इन्दौर**

क्रमांक 6/11/अन्य./पांच/2015/ 29000-250

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

**अधिकारी**

विषय - न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत राज्य के अधिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से न्यूनतम वेतन की दरे, परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित प्रभावशील करने के संबंध में।

-

म.प.सञ्चार दिनांक 10 जून, 2016 के पृष्ठ क्रमांक 670 एवं 671 पर प्रकाशित अम चिभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ.4(सी)1-2013-आ-16 के अनुसार राज्य के अधिकों के लिए न्यूनतम वेतन की दरे पुनरायित की गई थी, जो अधिक आरतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (जनवरी से जून, 2014) 2001=100 के आधार मानकर संबंद्ध की गई है, जो दिनांक 10 जून, 2016 से लागू है।

उपरोक्त विषयात्मक अनुसूचित नियोजनों में सूची में क्रमांक 1 से 36, 39 से 55 तथा 57 से 66, 69 एवं 70 से 72 तक कुल 67 नियोजनों में न्यूनतम वेतन की दरे अभी तक घोषित परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते को विनियोजित करते हुए प्रभावशील की गई है। माह जनवरी से जून, 2023 की छ: माही का औसत मूल्यकांक 386 रहा है, अतः इसके कारण गत छःमाही में मान्य किंवदं गये अधिक आरतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत(379) के ऊपर  $(386-379) \div 07$  औसत बिन्दुओं की दृष्टि हुई है। फलस्वरूप दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक जारी दरे जिन्हानुसार रहेंगी:-

**अनुसूची - अ**

67 अनुसूचित नियोजन में आरिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता समिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

अधिकों का नाम वर्गीकरण	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में रातंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अकुशल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
अर्द्धकुशल	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
कुशल	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514

**अनुसूची - ब**

**किसी स्लेट पैसिल निर्माण शाला में नियोजन**

आरिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता समिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रुपये में)

अधिकर्क का वर्गीकरण	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में रातंडअप कर दैनिक दर प्रतिदिन रुपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
मजदूर	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
पेकर, पट्टी पेकर, सीपर	6705	257.85	3625	139.42	13330	397.31	397
मुखीम, लेखाक्षर, कलंके आदि	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
रोलसे, मिर्जी पाईंटर्स	9522	366.23	3625	139.42	13147	505.65	506
उच्चकुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
कर्मचारी	10155	390.57	3625	139.42	13780	530.00	530

### अनुसूची - स

किसी मुद्रणालय में नियोजन

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता समिलित है।

(26 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

कार्यालयीय छा की	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठडाप्प अन्तर दैनिक दर
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
सिपाही की							प्रतिदिन रूपये
अधुक्षल	6500	250.00	3325	127.88	9825	377.88	378
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411
उच्च कुशल	9735	374.42	3625	139.42	13360	513.85	514
कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	9685	372.50	3625	139.42	13310	511.92	512
श्रेणी दो	9378	360.69	3625	139.42	13003	500.12	500
श्रेणी तीन	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
अर्द्ध कुशल श्रेणी							
श्रेणी एक	8435	324.42	3625	139.42	12060	463.85	464
श्रेणी दो	7057	271.42	3625	139.42	10682	410.85	411

### अनुसूची - च

मार्गप्रदेश के विभिन्न आसक्ति विभागों में कार्यरत दैनिक वेतन भेगों अनियन्त्रे एवं कर्जाचारियों के

मासिक एवं दैनिक वेतन की दरे जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता समिलित है।

(30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

अग्रिमकी का दर्जा	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठडाप्प कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अधुक्षल	6500	216.66	3325	110.83	9825	327.50	328
अर्द्ध कुशल	7057	235.23	3625	120.83	10682	356.07	356
कुशल	8435	281.16	3625	120.83	12060	402.00	402
उच्च कुशल	9735	324.50	3625	120.83	13360	445.33	445

### अनुसूची - द (कृषि नियोजन)

जनवरी से जूलाह 2023 तक का कृषि अग्रिम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत 1180 है। इसके पर्याप्ती की छ: भागी का औसत 1152 रुपये, जिसके कारण 28 विन्दुओं की कृषि नियोजन में मंहगाई भत्ता सहित न्यूनतम वेतन देय होगा । (30 दिन के मान से) (आंकड़े रूपये में)

अग्रिमकी का दर्जा	न्यूनतम वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राठडाप्प कर दैनिक दर प्रतिदिन रूपये
	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	
अधुक्षल	5350	178.33	2472	82.40	7822	260.73	261

### बीड़ी नियोजन

अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5299 (1960=100) के औसत के ऊपर 3196 औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे दिनांक 01.04.2023 से 31.3.2024 तक लिम्नानुसार रहेगी :-

### अनुसूची - ई (बीड़ी नियोजन)

कर्जचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन यी पुनरीक्षित दरे	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
बीड़ी रोलर (1000 बीड़ी बेलने के लिए)	74.00	31.96	105.96

वोट - एक हजार बीड़ी बेलने पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते रूपये 105.96 पैसे के अतिरिक्त बीड़ी शमिकों की बोनस पेट 9 रुपये 27 पैसे (8.33%), अर्जित अवकाश के एवज में तगद भुगतान 5 रूपये 30 पैसे (5%) एवं भविष्य निधि बाबद नियोजक का अंशदाता 11 रूपये 13 पैसे (10%) इस प्रकार कुल 131 रूपये 65 पैसे देय होगी। इस सकल देय राशि में से शमिकों का एवं नियोजक का भविष्य निधि अंशदाता की कटौती रूपये 22.26 पैसे की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलने पर दिनांक 01.04.2023 से 31.03.2024 की अवधि में शमिकों से 11 रूपये 13 पैसे एवं भविष्य निधि कटौती की राशि 11 रूपये 13 पैसे उपरान्त शुद्ध राशि 109 रूपये 40 पैसे प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

### अग्रबद्धती नियोजन


अधिक भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में आधारित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) के औसत के ऊपर गत छमाही में औसत सूचकांक 379 के ऊपर औसत विन्दुओं की वृद्धि हुई है। जिसके कारण जारी दरे लिम्नानुसार रहेगी :-

### अनुसूची - एफ (अग्रबद्धती नियोजन)

कर्जचारियों का वर्ग	न्यूनतम वेतन यी पुनरीक्षित दरे	परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर रूपये	कुल वेतन रूपये
(अ) अग्रबद्धती रोलर (1000 अग्रबद्धती रोल करने पर) साधारण दर	21.40.	₹ 36.25	रुपये 57.65
(ब) सुनापित (सेट्टेड)	22.00	₹ 36.25	रुपये 58.25

स्पष्टीकरण - 1. म.प.न्यूनतम वेतन मतवाहकाद परिषद की बैठक दिनांक 20.6.2006 में हुई थीं में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव अनुसार मजदूरी निधारण में पैसे तथा रूपये के गुणाको का 15%अप करके ही दैनिक/मासिक मजदूरी निधारित की जाए। तदनुष्ठ प्रतिदिन रूपये में रातुङ्गाप कर दैनिक दरे निधारित की जाए।

- वित्त विभाग के परिपत्र क्र. एफ 9-79-7/2006/नियम/चार, दि 25 सितंबर, 2006 में 50 पैसे था उससे अधिक पैसे ५ तो, उन्हें अगर उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड दिया जायेगा।
- राज्य शासन द्वारा दिनांक 15 मई, 2015 को जारी एवं म.प.राजपत्र दिनांक 22 मई, 2015 में प्रकाशित अकुशल शमिकों देनु मजदूरी की दर दिनांक 01.06.2015 से प्रभावशील की गई है।

  
(श्रीकांत बगत)

श्रीमान् युक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर

### प्रेस बिजारि

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिए दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक प्रभावशील योग्य है।

न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों को देव परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते की दर में दिनांक 01.10.2023 से रुपये 175.00 प्रतिमाह की वृद्धि हुई है। अतः न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत 67 अधिसूचित नियोजनों में कार्यस्वरूप श्रमिकों के मासिक एवं दैनिक योग्य पुनरीक्षित दरें घोषित की जाती हैं, जो अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 241 (2001=100) पर आधारित कर संबद्ध की गई हैं।

न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 के अंतर्गत अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जनवरी, 2023 से जून, 2023 तक की छ.माही में कुल सूचकांक का औसत 386 रहा है। इसके कारण गत 15.माही में मूल्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ऊपर 07 औसत चिन्हाओं की वृद्धि हुई है। परिणामस्वरूप परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते में रुपये 25.00 प्रतिविन्दु की दर से  $25 \times 7 = 175.00$  रुपये (एक सौ चाहतर रुपये) प्रतिमाह की वृद्धि अमानुकृत दारा घोषित की गई है। इस प्रकार दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता कुल रुपये 3625/- प्रतिमाह अथवा रुपये 139.42 प्रतिदिन देय है।

अतः अमानुकृत दारा घोषित मंहगाई भत्ते की दरों के अनुसार दिनांक 01 अक्टूबर, 2023 से आगमी 6 माहों के लिए 67 अनुसूचित नियोजनों में अनुशासन श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 9825/- या प्रतिदिन रुपये 377.88, अहंकृशल श्रमिकों यो प्रतिमाह रुपये 10682/- या प्रतिदिन रुपये 410.85, कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 12060/- या प्रतिदिन रुपये 463.85 तथा उच्च कुशल श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 13360/- या प्रतिदिन रुपये 514.00 प्रति दिन देय होगा।

कृषि नियोजन में गत छ.माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (1180-1152) 28 औसत चिन्हाओं की वृद्धि हुई है। जिसके आधार पर दर्हमात्र मंहगाई भत्ता अप्रतिमाह रुपये 168/- की वृद्धि अमानुकृत दारा घोषित की गई है। जिसके आधार पर अनुशासन कृषि श्रमिकों को प्रतिमाह रुपये 7822/- या प्रतिदिन रुपये 260.73 प्रति भाजदरी संहगाई भत्ते सहित दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 तक के लिए देय होगा।

एक हजार बीड़ी बेलन पर न्यूनतम वेतन परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता रुपये 105.96 प्रति के अतिरिक्त बीड़ी श्रमिकों को बोक्स ऐटे रुपये 9.27 प्रति (8%), अर्जित अद्यकाश के एवज में लकड़ भुगतान रुपये 05.30 प्रति (5%), एवं अधिष्य निधि कावद नियोजक का अंशदान रुपये 11.13 प्रति (10%)। इस प्रकार कुल रुपये 131.65 प्रति देय होगी। इस सकल देय राशि में से श्रमिकों का एवं नियोजक का अधिष्य निधि अंशदान की कटौती रुपये 22.26 प्रति की होगी। इस प्रकार 1000 बीड़ी बेलन पर दिनांक 01.10.2023 से 31.03.2024 की अवधि में श्रमिकों से रुपये 11.13 प्रति एवं अधिष्य निधि कटौती की राशि रुपये 11.13 प्रति उपरान्त शुद्ध राशि रुपये 109.40 प्रति हजार बीड़ी देय होगी।

अगरबत्ती नियोजन में गत छ.माही का औसत 386 रहा है। जो इसके पूर्ण की छ.माही के औसत 379 से ज्यादा है, इसके कारण गत छ.माही में मान्य किये गये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के औसत के ऊपर (386-241) 145 औसत चिन्हाओं एवं अगरबत्ती नियोजन में भी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में (386-379) औसत 07 चिन्हाओं की वृद्धि होने के कारण दिनांक 01.10.2023 से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता मिलाकर साधारण अगरबत्ती के लिए रुपये 57.65 प्रति तथा सुगमित अगरबत्ती के लिए रुपये 58.25 प्रति प्रतिहजार अगरबत्ती की भाजदरी देय होगी।

### स्पष्टीकरण -

- (1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रुपये के गुणांकों को रात्रें-अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जायेगी। विल्स विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.9-7/2006/नियम/यार, दिनांक 20-सितम्बर 2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा।


श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश सासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्य/पांच/2015/ 29251-53

इन्दौर, दिनांक 25/09/2023

### प्रतिलिपि -

1. संचालक, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश सासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के सभी दैनिक समाचार पत्रों में तिथुल्क प्रकाशनार्थ पेशित।
2. अपर संचालक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आवश्यक कार्रवाई हेतु पेशित।
3. केन्द्र निदेशक, आकाशवाणी केन्द्र, इन्दौर की ओर प्रमाण हेतु पेशित।

  
 (श्रीकांत यरोल)  
 अमायुक्त,  
 मध्य प्रदेश, इन्दौर

श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर

क्रमांक 1/11/अन्वे/पांच/2015/ 29254-500


इन्दौर दिनांक 25/09/2013

प्रति,

- 1- प्रमुख सचिव, अध्यप्रदेश शासन, श्रम विभाग, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
- 2- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल की ओर उके पत्र क्रमांक 303/आ/577/92/नि-514, दिनांक 30.6.1992 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।
- 3- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाज्य प्रशासन विभाग, स्थापना, अधीक्षण, भोपाल ।
- 4- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक विरोध विभाग, भोपाल ।
- 5- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, जन समाधन विभाग, भोपाल ।
- 6- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल ।
- 7- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, कृषक कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 8- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल (राहत भाषा)
- 9- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पंचायत एवं शानीण विभाग, भोपाल ।
- 10- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, पुनर्जात विभाग, भोपाल ।
- 11- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, धन विभाग, भोपाल ।
- 12- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, भोपाल ।
- 13- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, तरंगा याटी विकास विभाग, भोपाल ।
- 14- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, आदिग जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
- 15- सचिव, मध्य प्रदेश शासन, सामाजिक न्याय विभाग, भोपाल ।
- 16- सचिव, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, म.प. इन्दौर।
- 17- महालेखाकार, पथन एवं विद्तीय, मध्यप्रदेश, व्यालियर।
- 18- उप नियंत्रक, शासकीय प्रान्तीशिक मुद्रणालय, व्यालियर, म.प. की ओर अधिसूचना की घति भेजते हुए अनुरोध है कि इस अधिसूचना को मध्यप्रदेश राजपद के आगामी अंक के भाग 3(1) में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 19- आयुक्त, जनसम्पर्क विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल की ओर मध्यप्रदेश के समस्त दैनिक समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
- 20- राहत आयुक्त, बलभंड भवन, भोपाल।
- 21- उप सदातक, जनसम्पर्क विभाग, इन्दौर की ओर आयश्वक कार्यालयी हेतु प्रेषित।
- 22- केल्ड लिंटेशक, आकर्षणवाणी केल्ड, इन्दौर की ओर प्रसारण हेतु प्रेषित ।
- 23- समस्त संभाग आयुक्त, मध्यप्रदेश।
- 24- समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
- 25- समस्त मुख्य कार्यालय अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
- 26- सचालक कृषि विभाग, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल।
- 27- प्रमुख अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
- 28- प्रमुख अभियन्ता, लोक विरोध विभाग, भोपाल।
- 29- प्रमुख अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी विभाग, भोपाल।
- 30- प्रमुख धन संक्षक, मध्य प्रदेश शासन, भोपाल।
- 31- अपर श्रमायुक्त, मध्य प्रदेश, इन्दौर।

- 32- समस्त उप अम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 33- संचालक/समस्त संचयक संचालक/ उप संचालक/ संचयक संचालक, औरोगिक स्थान्य एवं सुरक्षा, मध्यप्रदेश।
- 34- समस्त संचयक अम आयुक्त, मध्य प्रदेश।
- 35- समस्त अम पदाधिकारी, मध्य प्रदेश।
- 36- प्रभारी अधिकारी, समस्त शाखाएं, क्रमायुक्त कर्मचारी, म.प. इन्डौर।
- 37- सचिव, म.प. भवन एवं अन्य संगीत्योजन कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 38- सचिव, म.प. रही एवं शासीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
- 39- सचिव, म.प. स्लेट एवं ऐसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
- 40- कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश अम कल्याण मण्डल, भोपाल।
- 41- लैबर व्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक करवाई हेतु प्रेषित।

न्यूतम घेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त लियोजनों में न्यूतम घेतन परिवर्तनशील मंहगाई अत्से सहित प्रभावशील कराते के लिए जिलों में पदस्थ अम निरीक्षकों को संबोधित प्रभारी अधिकारी आवश्यक निर्देश एवं आर्गेंटेशन प्रदान करें।

  
 (श्रीकांत चौधरी)  
 अमायुक्त,  
 मध्य प्रदेश, इन्डौर

## श्रम आयुक्त कार्यालय, मध्य प्रदेश शासन, इन्दौर


क्रमांक १/११/अन्वे/पांच/2015/ २३५०। -४५० इन्दौर, दिनांक २५/०९/२०२३

प्रति,

1. कलेक्टर, ज़िला इन्दौर, धार, झावुआ, अलिराजपुर, बड्डानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रत्लाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, ठिंडवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
2. मुख्य कर्मचारी अधिकारी, ज़िला पंचायत इन्दौर, धार, झावुआ, अलिराजपुर, बड्डानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रत्लाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, ठिंडवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया।
3. उप श्रम आयुक्त, इन्दौर / भोपाल।
4. सहायक श्रम आयुक्त, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर, मुरैना, भोपाल, होशंगाबाद(नर्मदापुरम), सागर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, शहडोल।
5. श्रम पदाधिकारी / सहायक श्रम पदाधिकारी / श्रम निरीक्षक, इन्दौर, धार, झावुआ, अलिराजपुर, बड्डानी, खरगोन, बुरहानपुर, खण्डवा, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, शाजापुर, रत्लाम, मंदसौर, नीमच, ग्वालियर, गुना, भिण्ड, शिवपुरी, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, सागर, छतरपुर, दमोह, पन्ना, टीकमगढ, निवाडी, जबलपुर, कटनी, ठिंडवाडा, मण्डला, डिंडोरी, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, सतना, सीधी, रीवा, सिंगरोली, शहडोल, अनुपपुर, उमरिया मध्य प्रदेश।
6. संचालक, औद्योगिक स्थानस्थ्य एवं सुरक्षा, म.प्र. इन्दौर।
7. संयुक्त संचालक, औद्योगिक स्थानस्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, भोपाल।
8. उप संचालक / सहायक संचालक, औद्योगिक स्थानस्थ्य एवं सुरक्षा, इन्दौर, हथजिल लेव इन्दौर, खण्डवा, देवास, मंदसौर, उज्जैन, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, सतना, सिंगरोली, बीकांगर।
9. सचिव, म.प्र.भवन एवं अन्य संनिवेश कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
10. सचिव, म.प्र. शहडी एवं गामीण असंगठित कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल।
11. सचिव, म.प्र. स्लेट एवं पेंसिल कर्मकार कल्याण मंडल, मंदसौर।
12. कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश श्रम कल्याण मण्डल, भोपाल।
13. लेखर द्यूरो, शिमला (हिमाचल प्रदेश) की ओर आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित।

**विषय -** न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत श्रमिकों के लिये 01 अक्टूबर 2023 से लागू परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरों।

उपरोक्त विषयांतर्गत श्रमिकों के लिये न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत समस्त नियोजनों में परिवर्तनशील मंहगाई भत्ते सहित न्यूनतम वेतन की दरें दिनांक 01.10.2023 से पुनरीक्षित/ प्रभावशील की गई है। उक्त दरें पुस्तक के रूप में अम विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिये अम विभाग की वेबसाइट [www.labour.mponline.gov.in](http://www.labour.mponline.gov.in) पर लोग ऑन फरने का कष्ट करें।

  
(श्रीकांत चौधरी)

अमायुक्त,  
मध्य प्रदेश, इन्दौर